कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 456 /आउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 7-9-2009

प्रति,

1– **क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,**
समस्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।

2– **प्राचार्य,**
समस्त, शा0 महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–प्रावधिक प्रवेश को नियमित करने के संबंध में।

–:0:–

कृपया इस संदर्भ में मेरे द्वारा भेजे गये पूर्व निर्देशों का स्मरण करने का कष्ट करें। पी.एम.टी./पी.ई.टी. एवं अन्य व्यावसायिक परीक्षाओं की काउंसलिंग में होने वाले विलंब को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि निर्धारित तिथि तक प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों को प्रावधिक प्रवेश दे दिया जाए तथा उन्हें कक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाए, ताकि कक्षाएं निर्धारित तिथि से प्रारंभ हो सकें।

ऐसे विद्यार्थियों के संबंध में यह भी निर्देशित किया गया था कि विश्वविद्यालयों के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने अथवा काउंसलिंग पूरी होने के पश्चात यदि वे विद्यार्थी नियमित प्रवेश के इच्छुक हों तो उन्हें नियमित प्रवेश प्रदाय कर दिया जाए।

मेरे पास बडी संख्या में विद्यार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह बताया गया है कि प्रवेश की अंतिम तिथि 25.08.09 के पूर्व उनके द्वारा महाविद्यालयों में आवेदन पत्र जमा कर प्रावधिक प्रवेश ले लिया गया था, किन्तु 25.08.09 तक फीस जमा न होने के कारण उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। अतः इन आवेदनों को देखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि 25.08.09 के पूर्व आवेदन पत्र जमा कर प्रावधिक प्रवेश लेने वाले समस्त छात्रों को फीस जमा कर नियमित होने का अवसर प्रदाय किया जाए, यह अवसर महाविद्यालय के द्वारा प्रथम आंतरिक मूल्यांकन प्रारंभ होने से पूर्व ही दिया जाए ताकि प्रावधिक प्रवेश प्राप्त कर कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित विद्यार्थी ही आंतरिक मूल्यांकन में भग ले सकें।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रावधिक प्रवेश को नियमित करने की कार्यवाही सम्पन्न करें।

Ashish
7.9.2009

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,

पृ. क्रमांक 457 /आउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 7-9-2009

प्रतिलिपिः–

1– निज सहायक, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

2– निज सहायक, मा0 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

Ashish
7.9.2009

आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,